उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

निर्गत/निक्षेप
6/5/22

संख्या–1650 –औ0सं0–17/पाकालि/2022–27–एफ/80(वो0–1) दिनाँक 06 मई, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी वितरण कम्पनियों में कार्यरत कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विद्यमान आदेशों के अनुक्रम में "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1975 (यथा संशोधित)" के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी का पद कार्यकारी सहायक के समकक्ष लेखा संवर्ग के सीधी भर्ती का पद "लेखा लिपिक" पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता के आधार पर मृतकाश्रितों को भी अनुकम्पा नियुक्ति निम्नवत् प्रदान की जायेगी।

लेखा लिपिक	शैक्षिक अर्हता – (भारत में केन्द्र/राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय से) वाणिज्य में स्नातक की उपाधि। अन्य अनिवार्य अर्हता – कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति की प्रवीणता।

अनुकम्पा नियुक्ति की तिथि पर "लेखा लिपिक" की शैक्षिक योग्यता एवं आवश्यक अर्हता सम्बन्धित पद हेतु निर्धारित सेवा विनियमावली (यथा संशोधित) के अनुसार प्रभावी मानी जायेगी।

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1975 (यथा संशोधित)" के नियम एवं शर्तें पूर्व की भाँति यथावत् रहेंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या–1650–औ0सं0–17/पाकालि/2022/तददिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल/वाराणसी/पश्चिमांचल/मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः 2/–

6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
10. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0) वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
16. कट फाइल।

6/8/2022

(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)